



Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सूचना संख्या TRADE NOTICE NO.36 /2018-19

विषय:- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 48 के अंतर्गत सीमाशुल्क के पास रखे लावारिस/दोषयुक्त कार्गो के निस्तारण की प्रक्रिया- से संबन्धित।

Sub:- Procedure for disposal of un-claimed/un-cleared cargo under section 48 of the Customs Act, 1962, lying with the customs - reg.

उपरोक्त विषय पर सीमाशुल्क ब्रोकर, आयातक, निर्यातक तथा सभी हितधारियों का ध्यान, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के द्वारा दिनांक 3.12.2018 को जारी परिपत्र संख्या 49/2018-सीमा शुल्क की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of the customs Brokers, Importers, Exporters, and all other stakeholders are drawn to the Circular No. 49/2018-Customs dated 3.12.2018 issued by Central Board of Indirect taxes and Customs on the subject mentioned above.

2. लावारिस/दोषयुक्त कार्गो के निस्तारण में हुई असंगत देरी के मद्देनजर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 48 के अंतर्गत सीमाशुल्क के पास रखे लावारिस/दोषयुक्त कार्गो के द्रुत निस्तारण के लिए विस्तृत संशोधित प्रक्रिया के संदर्भ में उक्त परिपत्र प्रस्तुत किया है।

Taking into account the undue delay in disposing of un-claimed/un-cleared cargo, the board has vide the said circular laid out detailed revised procedure for the expeditious disposal of un-claimed/un-cleared cargo under section 48 of the Customs Act, 1962.

3. बोर्ड परिपत्र संख्या 49/2018-सीमा शुल्क की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।
Copy of the board circular no 49/2018 - Customs is enclosed here with for information.

-sd-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR)
सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

//ATTESTED//



G Anil Kumar

Appraiser (Import)

को जारी: Issued to: सभी सम्बद्ध, सूची के अनुसार All concerned, as per mailing list

F.No.C1/05/2017 TU Cus.

दिनांक Dated: 04.12.2018

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क
The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
2. आयुक्त की फ़ाइल/अपर आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त /गार्ड फ़ाइल तथा सूची के अनुसार सभी सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्देशों/परिवर्तनों को नोट करे तथा उसका अनुपालन करें।
Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes
3. हिन्दी अधिकारी Hindi Officer
4. सीमाशुल्क,कोचीन ब्रोकर असोशिएशन, कोचीन
The Cochin Customs Brokers Association, Cochin
5. सूचना पट्ट Notice Board
6. व्यापार सूचना को अपलोड करने हेतु ई डी आई अनुभाग को
EDI section for uploading the Trade Notice
7. सीमाशुल्क स्टेशन के सभी सम्बद्ध संरक्षकों को
All concerned custodians of Customs Station